

फर्द अहकाम

न्यायालय _____
 नारी देवी बनाम कुलपद कउरु
 मुकदमा संख्या/वर्ष (टी.आई.) 137/2019

| क्र०स० | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|----------|---------------------------|---|
| | 24/8/23 | दिस के अंत में करने की दिनांक दी जा रही है। इसके अन्तर्गत की कार्यवाही पालना अन्तर्गत वही होने पर पूर्व एक ताफ़ा करारि अन्तर्गत आगामी वार्षिक पेशी पर निरस्त किया जावेगा। उच्च न्यायालय नोडरि अन्तर्गत पेशी होने पर अन्तर्गत पत्रावली नस्ते. ऑफिस रिपोर्ट सी-नोडरि अन्तर्गत दिनांक 15/09/23 को पेश हो। |
| 15/10/23 | | पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वावधि दिनांक 13/10/23 को पेश हो। |
| 13/10/23 | | पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वावधि दिनांक 15/10/23 को पेश हो। |
| 15/11/23 | | पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वावधि दिनांक 2/11/23 को पेश हो। |
| 2/11/23 | | पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वावधि दिनांक 15/11/23 को पेश हो। |

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय हांगोनर
 नारी देवी बनाम कुलपद
 संख्या/वर्ष सी०आई 137/2019 / 20

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---------------------------|--|-------------|
| 15/10/23 | पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वावधि दिनांक 01/10/23 को पेश हो। | |
| 01/10/23 | पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वावधि दिनांक 5/4/24 को पेश हो। | |
| 5/4/24 | पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वावधि दिनांक 17/1/24 को पेश हो। | |
| 17/1/24 | पत्रावली पेश हुई। नकील प्रार्थी उपरोक्त अन्तर्गत बावपुड रफिउ अक भुक्ता अनुप्रस्थित अन्तर्गत के विरुद्ध अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। अतः दिनांक 21/6/24 को पेश हो। | |
| 21/6/24 | पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्ष बहल सी०आई सुनी गई। बहल सी०आई व पत्रावली का उपलोकन कर मय दस्तावेज करने पर इन मामलों द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 5/11/2019 और मुलाकाद के निस्तारण तक अन्तर्गत अन्तर्गत पत्रावली फुल्ल शुमार होकर, अन्तर्गत से अन्तर्गत वाद तकमिद दाखिल दफ्तार हो। | |

उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर द्वितीय

